-1-

184

न्यायालय राजस्व मण्डल,

मध्य प्रदेश ग्वालियर

R 3905-II-16

निगरानी प्रकरण कमांक --दो/2016

सुदर्शन पुत्र रामगोपाल लोधी

ग्राम सिल्लारपुर

तहसील करैरा

जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1-- मध्य प्रदेश शासन व्दारा

कलेक्टर शिवपुरी

2- तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी ---अनावेदक

(निगरानी अंतर्गत धारा धारा 50 सहपठित धारा 8, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत - श्रीमान [redacted] तहसीलदार तहसील करैरा जिला शिवपुरी [redacted] व्दारा प्रकरण कमांक 279 अ-19/ 1991-92में पारित आदेश दिनाँक 16-8-1992 से दिये गये पट्टे के अमल को शासकीय अभिलेख से पटवारी व्दारा विलोपित कर देने के विरुद्ध)

कृ0पृ030-2

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

निगरानी प्रकरण कमांक 3905–दो/2016 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश
19.12.16	यह निगरानी तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 312 अ–19/1991–92 में पारित आदेश दिनॉक 16–8–1992 से दिये गये पटटे की भूमि पर से पटवारी व्दारा नाम विलोपित कर दिये जाने के कारण एंव तहसीलदार करैरा को आवेदन दिये जाने पर कार्यवाही न करने के कारण मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत तथा सहपठित धारा–8 पर आधारित मॉग करते हुये प्रस्तुत की गई। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी ने प्रकरण कमांक 279 अ–19/1991–92 में पारित आदेश दिनॉक 16–8–1992 से आवेदक सुदर्शन पुत्र रामगोपाल लोधी को ग्राम सिल्लारपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 381 रकबा 0.25 आरे का व्यवस्थापन किया, जिसकी प्रविष्टि खसरा वर्ष 1991 लगायत वर्ष 2010 तक निरन्तर दर्ज है। वर्ष 2010 के वाद खसरा बनाते समय हलका पटवारी ने भूमि शासकीय दर्ज कर दी। इस प्रविष्टि को दुरूस्त करने हेतु आवेदक ने तहसीलदार करैरा को आवेदन देने कार्यवाही न करते हुये मुहॅू जवानी मना कर दिया, जिसके कारण यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के

अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक को तहसीलदार करैरा के प्रकरण कमांक 279 अ-19/ 1991-92 में पारित आदेश दिनॉक 16-8-1992 ग्राम सिल्लारपुर की भूमि सर्वे कमांक 381 रकबा 0.25 आरे का व्यवस्थापन किया गया था , किन्तु पटवारी ने वर्ष 2010 के वाद नवीन खसरा बनाते समय आवेदक का नाम विलोपित करके भूमि शासकीय लिख दी। माह नवम्बर 2016 के प्रारंभ में आवेदक जब बैंक में केडिट कार्ड बनवाने गया तब चालू खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी और पटवारी से चालू प्रमाणित प्रतिलिपि मांगने पर भूमि शासकीय दर्ज होने का पता चला । तहसीलदार करैरा को सुधार करने का आवेदन देने पर कार्यवाही नहीं की गई एंव मुहूँ जवानी मना करने के कारण खसरा आदि की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ लेकर निगरानी की गई है इसलिये संहिता की धारा 8 के अंतर्गत राजस्व मण्डल से सुधार आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई।

शासन के पैनल लायर का तर्क है कि आवेदक को राजस्व पुस्तक परिपत्र चार -3 के प्रावधानों के तहत भूमि व्यवस्थापित हुई है एंव राजस्व पुस्तक परिपत्र के मामले सुनने के अधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है इसलिये निगरानी निरस्त की जाय।

4/ विचार योग्य है कि क्या राजस्व मण्डल को राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत अपील/निगरानी सुनने के अधिकार हैं ? माननीय उच्च न्यायालय व्दारा बानमौर सीमेंट वर्क्स लिमि0(मेस.) मुरैना विरूद्व म0प्र0राज्य 2012 रा0नि0 385 में व्यवस्था दी है कि-

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

निगरानी प्रकरण कमांक 3905–दो/2016 जिला शिवपुरी

थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश
	Maintainability of appeal- order passed by Revenue Officer under provision of M. P. Reveue Book Circulars- appeal against such order is maintainanble before Board Of Revenue. राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत विचारित कार्यवाहियों में राजस्व अधिकारियों व्दारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपील/निगरानी/ प्रकरणों को सुनने की अधिकारिता राजस्व मण्डल को है। राजस्व मण्डल राजस्व मामलों के निराकरण के लिये म0प्र0शासन का सर्वोच्य अॅग है जिसके कारण पैनल लायर का तर्क बेबुनियाद है। 5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसील न्यायालय व्दारा आवेदक के हित में खसरा वर्ष 1990–91 लगायत 1994–95 तथा खसरा पंचशाला वर्ष 2005 लगायत 2009–10 की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ जारी की गई है जिनके अवलोकन से प्रमाणित है कि आवेदक को प्रकरण कमांक 279/1991–92 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 16–8–1992 से ग्राम सिल्लारपुर की भूमि सर्वे कमांक 381 में से रकबा 0.25 आरे का व्यवस्थापन हुआ है और इस आदेश अनुसार खसरा प्रविष्टि वर्ष 1990–91 से खसरा पंचशाला वर्ष 2009–10 निरन्तर चली आई है। खसरा

प्रविष्टियों के सम्बन्ध में संहिता की धारा 117 इस प्रकार है–

1. धारा–117. भू अभिलेखों की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा – भू अभिलेखों में इस अध्याय के अधीन की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वे सही हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल सावित न कर दिया जाय।
2. रामदयाल विरूद्व गुलजार सिंह 1970 राजस्व निर्णय 296 का दृष्टांत है कि खसरा की प्रविष्टि अखण्डित है और उसके सही होने का अनुमान किया जायेगा।
3. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 115, 116 – पटवारी व्दारा शासकीय अभिलेख में अपलेखन की त्रृटि की। ऐसी त्रृटि धारा 115, 116 के अंतर्गत सुधार योग्य है।
4. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 8 – भूमि का आवंटन वर्ष 1992 में किया गया। वर्ष 2010 तक खसरा प्रविष्टि भूमिस्वामी के रूप में निरन्तर – वाद के खसरों में अपलेखन कर प्रविष्टि विलोपित की गई – तहसीलदार व्दारा अपलेखन प्रविष्टि सुधार से इंकार किया गया – राजस्व मण्डल संहिता की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर प्रविष्टि शुद्व कराने के आदेश देने हेतु सशक्त है।

जब तहसीलदार करैरा को आवेदक व्दारा खसरा सॅशोधन का आवेदन दिया गया, तहसीलदार के अभिज्ञान में उक्त तथ्य रहने के बावजूद प्रकरण पंजीबद्व करके कार्यवाही न करना आवेदक को न्याय से बंचित करने की श्रेणी में माना जावेगा एंव आवेदक ग्राम सिल्लारपुर की भूमि सर्वे कमांक 381 में से रकबा 0.25 आरे पर खसरा प्रविष्टि वर्ष 1990–91 लगायत 2010 के अनुसार तदाशय की दुरूस्ती कराने का पात्र पाया गया है।

6/ प्रकरण में यह भी विचार–योग्य है कि क्या पटवारी शासकीय अभिलेख से रिकार्डेड भूमिस्वामी का नाम विलोपित

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

निगरानी प्रकरण कमांक 3905–दो/2016 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश

करने/ हटाने की कार्यवाही कर सकता है ?

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 114 – शासकीय रिकार्ड अथवा अद्यतन रखने एंव सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों की है रिकार्ड अद्वतन न रखने का खामियाजा कृषकों को नहीं भुगताया जा सकता।

उपरोक्त से प्रमाणित है कि पटवारी को खसरे में वर्ष 1992 से वर्ष 2010 तक चले आ रहे आवेदक के भूमिस्वामी के नाम की प्रविष्टि को वर्ष 2010 के वाद नवीन खसरा बनाते समय आवेदक का नाम ग्राम सिल्लारपुर की भूमि सर्वे कमांक 381 में से रकबा 0.25 आरे पर से विलोपित कर भूमि शासकीय दर्ज करने की अधिकारिता नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है एंव म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8 की शक्तियों के अंतर्गत तहसीलदार करैरा को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम सिल्लारपुर की भूमि सर्वे कमांक 381 में से रकबा 0.25 आरे पर आवेदक सुदर्शन पुत्र रामगोपाल लोधी का नाम पूर्ववत् दर्ज किया जावे।

सदस्य